-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 06.07.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा जनपद के ग्राम प्रधानों के साथ किया गया जनसंवाद। ग्राम प्रधानों को तीनों नये कानूनों के बारे में दी गई जानकारी। सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने तथा बाढ़ के समय प्रभावी कार्यवाही के बारे में की गई चर्चा।**
- **पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्राम स्तर पर महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु "महिला सुरक्षा समिति" का किया जा रहा है गठन। समिति मे ग्राम पंचायत के सदस्य सहित महिला बीट आरक्षी होंगी शामिल।**

विवरण- आज दिनांक 06.07.2024 को पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा जनपद बांदा के ग्राम प्रधानों के साथ जनसंवाद किया गया। जनसंवांद में ग्राम प्रधानों को भारत में लागू तीनों नये कानूनों भारतीय न्याय संहित. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई साथ ही उन्हे अपने ग्राम पंचायत को लोगों को इस संबंध में जागरुक करने के लिए कहा गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनपद में दर्शन आदि करने के लिए श्रद्धालू ट्रैक्टर तथा अन्य मालवाहक वाहनों से यात्रा करते जिससे आये दिन सड़क दुर्घटनाएं होती है, यह आवश्यक है कि इस संबंध में ग्राम प्रधान अपनी ग्राम पंचायत के लोगों से वार्ता कर उन्हे जागरुक करें की वे ट्रैक्टर आदि में यात्रा न करें ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके साथ ही लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में जागरुक किया जाये। सभी ग्राम प्रधानों को शासन द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के बारे में जानकारी दी गई तथा कहा गया कि सभी ग्राम प्रधान बढ़-चढ़ कर अपनी ग्राम पंचायत में प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगवाये ताकि आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। पुलिस अधीक्षक बांदा ने बताया कि ग्राम स्तर पर महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु "महिला सुरक्षा समिति" का गठन किया जायेगा जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्य व महिला बीट आरक्षी शामिल होगी। महिला सुरक्षा समिति बालिकाओं एवं महिला सुरक्षा के लिए तत्पर होकर कार्य करेगी साथ ही बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके सशक्तीकरण हेतु चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जागरुक करेगी। बारिश के समय को देखते हुए पुलिस अधिक बांदा द्वारा बाढ़ प्रभावित ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों से इस संबंध में वार्ता की गई और कहा गया कि ग्राम प्रधान स्थानीय थाने से मिलकर पहले से ही इस संबंध में सभी तैयारियां कर ले ताकि बाढ़ के दौरान कोई समस्या न आये। उन्होने ग्राम प्रधानों को अश्वस्त किया कि पुलिस द्वारा राहत एवं बचाव कार्य की पूरी तैयारी कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्राम प्रधानों की समस्याओं को सुना गया तथा उन्हे अश्वस्त किया गया कि पुलिस के स्तर पर जो भी समस्याएं होगी वे शीघ्र निस्तारित की जायेंगी। उन्होने ग्राम प्रधानों से कहा कि किसी भी ग्राम प्रधान को कोई भी समस्या होती है तो वे सीधा उनसे सम्पर्क कर सकते हैं। जनसंवाद में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री लक्ष्मी निवास मिश्र द्वारा भी ग्राम प्रधानों से वार्ता की गई तथा कई महत्वपूर्ण बिन्दु बताये गये। जनसंवाद में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजीव प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी अतर्रा श्री गवेन्द्र पाल गौतम, क्षेत्राधिकारी नरैनी श्रीमती अंबुजा त्रिवेदी, क्षेत्राधिकारी बबेरु श्री राजबीर सिंह, ग्राम प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष बृजेन्द्र कुमार सिंह, जिला पंचायतीराज अधिकारी श्री अजय आनन्द आदि उपस्थित रहे।